



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/ नि.आ./बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018 / 3872

दिनांक:- 23.02.2018

---कार्यवाही विवरण:--- (जोन-उत्तर)

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 02/2018 वीं बैठक दिनांक 15.02.2018 को अपरान्ह 4.30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई. इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।


एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	1 राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 55/5 के रकबा 05 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत । आवेदक :- श्रीमति रेखा पत्नि श्री प्रकाश (जोन उत्तर)	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि 60 फीट रास्ते पर स्थित है। मौके पर भूमि रिक्त है।2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि गुजरावास से बासनी तम्बोलिया जाने वाले मार्ग पर स्थित है। उक्त मार्ग का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार मध्य में दर्शाये गये भूखण्डों के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में क्रमशः 30-30 फीट सड़क दर्शायी है।4. प्रस्तुत मानचित्र का क्षेत्र विश्लेषण पत्रावली के बिन्दु संख्या 18 पर अंकित है, जिसके अनुसार आवासीय-59.77 प्रतिशत, पार्क-9.05 प्रतिशत, एवं सड़क-31.18 प्रतिशत प्राप्त होता है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 100 फीट सड़क रखी जावें। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले आउट प्लान में मध्य में दर्शाये गये भूखण्डों के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में दर्शायी गई 30-30 फीट सड़को को यथावत रखा जाकर अनुमोदन का निर्णय लिया गया।3. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टयरे से कम क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावें व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावें।4. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 250 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या (xvii) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारिक सरचना सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावें।5. मानचित्र में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र/पार्क एव आवासीय भूखण्डों के मध्य 10 फीट का फुटपाथ छोड़ा जावें।6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।7. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर

			<p>डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p> <p>9. ले-आऊट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।</p>
2.	2	<p>राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 175/3, 180/3 के रकबा 05-13 बीघा भूमि का फार्म हाउस (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत् ।</p> <p>आवेदक :- श्री सवाईराम पुत्र श्री हड़ताराम (जोन उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>1. प्रारूप 7 अनुसार मौके पर आवेदित भूमि से पहुंच सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट है व कटान रास्ता ले आउट में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसकी चौड़ाई का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।</p> <p>2. प्रकरण बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 15.12.2017 में रखा जाकर निरस्त किया जाकर प्रार्थी को दिनांक 21.12.2017 को पत्र लिखा गया। जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को पुनः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।</p> <p>3. उपरोक्त पत्र के क्रम में बीपीसी(एलपी) की बैठक दिनांक 07.02.2018 में रखा जाकर निम्न निर्णय लिया गया:- "आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के क्रम में समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि के मध्य से गुजरने वाले कटाण मार्ग को मौके अनुसार शिफ्टिंग हेतु टेनेंसी एक्ट के तहत शिफ्ट किये जाने बाबत् जिला कलक्टर/सक्षम स्तर के यहां आवेदन प्रस्तुत कर जोधपुर विकास प्राधिकरण को सूचित करे, तदुपरान्त ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।"</p> <p>4. उक्त निर्णय प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कटाण मार्ग को छोड़ते हुये शेष भूमि का ले आउट अनुमोदन कर पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया।</p> <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 के क्रम में शिफ्टिंग हेतु दोनो भूमियों की किस्म अलग-अलग होने के कारण शिफ्ट नही की जा सकती। अतः समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <p>1. प्रकरण में आवेदित भूमि के सम्मुख 100 फीट सड़क रखी जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से 50 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</p> <p>2. आवेदित भूमि के मध्य से गुजरने वाले कटाण मार्ग जो कि मानचित्र में बी.सी.एफ.जी. से दर्शित है, पर किसी प्रकार का निर्माण हो तो प्रार्थी उक्त सीमा से निर्माण हटावे, अन्यथा जोन उपायुक्त अपने स्तर पर हटाने की सुनिश्चितता करे। उक्त मार्ग की मौके पर तारबन्दी की जावे, जिसकी सुनिश्चितता संबंधित तहसीलदार/उपायुक्त द्वारा की जावे।</p> <p>3. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत् जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>4. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे।</p> <p>5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे एवं उक्त अनुमोदन फार्म हाउस एकल भूखण्ड का किया गया है। अतः भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p>

			<p>7. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे।</p> <p>8. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।</p>
3.	3	<p>राजस्व ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 647/15, 647/16, 647/21, 647/25, व 647/28 के रकबा 32 बीघा में से 30.18 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री भोमजी व अन्य (जोन उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि मुख्य डामर सडक एवं कटाणी मार्ग पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में से एक एच.टी.लाईन गुजरती है। जिसकी क्षमता तहसीलदार तिवरी की रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख 32 हजार है साथ ही उक्त योजना मे से एक एल.टी लाईन भी गुजर रही है। आयोजना शाखा की पत्रावली के पैरा एन/12 के अनुसार राजस्व ग्राम मथानिया में उक्त उपयोग पर मास्टर प्लान-2031(ड्राफ्ट) के अनुसार कम संख्या 648 आपत्ति संख्या 473 प्राप्ति दिनांक 28.08.2014 दर्ज है। जिस हेतु निदेशक आयोजना द्वारा अपने पत्रांक एफ.37(2)जोविप्रा/नि.आ./2017/2060 दिनांक 03.10.2017 को प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। 2. जोन चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 20 अनुसार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तह. ओसिया जिला-जोधपुर ग्राम मथानिया-11 के खसरा संख्या 647/15 रकबा 8 बीघा भूमि मे से 1793.68 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/स.प/07/35 दिनांक 24.03.2007 श्रीमती पारू देवी पत्नि श्री चुन्नीलाल जाति-मेघवाल को जारी किया गया था जिसका राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाना शेष है। 3. प्रस्तुत मानचित्रों का क्षेत्र विश्लेषण पत्रावली के पैरा संख्या 24 अनुसार फार्म हाउस एरिया 68.10 प्रतिशत, सुविधा 4.65 प्रतिशत, एवं सडक 27.24 प्रतिशत प्राप्त होता है। टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अपेक्षित है। 4. आवेदित भूमि के उत्तरी-पूर्वी दिशा से पश्चिमी-दक्षिणी दिशा में मथानिया से चौपासनी चारणान् जाने वाला मार्ग दर्शाया है। साथ ही संलग्न गूगल प्लान अनुसार आवेदित भूमि के उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिमी-दक्षिणी भाग से रास्ता दर्शाया गया है। उक्त चारों मार्गों का मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। 5. आवेदित भूमि में से गुजरने वाली 132 के.बी. एचटी लाईन के नीचे नियमानुसार आरओडब्ल्यू छोडा जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि मथानिया से चौपासनी चारणान् जाने वाली सडक पर स्थित है, उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखते हुये सडक हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित की जावे। 2. आवेदित भूमि के उत्तर में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे इस हेतु हेतु सडक के मध्य बिन्दु से 30 फीट सडक हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। 3. आवेदित भूमि में न्यूनतम 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोडा जावे साथ ही आवेदित भूमि में से गुजरने वाली 132 के.बी. एचटी लाईन के नीचे नियमानुसार सेपटी कोरिडोर पश्चात 40 फीट सडक रखी जावे। 4. समस्त फार्म हाउस के न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखे जाकर उपरोक्त बिन्दु संख्या 01, 02, 03 की पूर्ति करवाते हुये संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस

			<p>बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादायी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 9. अनुमोदित एकल भूखण्ड का भविष्य में उपविभाजन नहीं किया जावे। इस हेतु संबंधित जोन उपायुक्त पट्टा जारी करते हुये उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवम मुद्रांक) विभाग को सूचित करे कि संबंधित भूखण्ड एकल भूखण्ड हेतु अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में उक्त भूखण्डों की टुकड़ों में रजिस्ट्ररी न की जावे। 10. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
4.	4	<p>राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 72/22 के रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि का औद्योगिक(एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री गोतमचन्द्र जैन पुत्र श्री कंवरलाल (जोन उत्तर)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि 50 फीट मार्ग पर स्थित है। 2. नगरीय विकास के परिपत्र दिनांक 26.02.2013 के अनुसार 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु न्यूनतम पहुंच मार्ग 24 मीटर आवश्यक है। प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार 24 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 29.08.2017 को प्रार्थी को सूचित किया गया है। 3. उपरोक्त के क्रम दिनांक 25.09.2017 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित पहुंच मार्ग के सर्दभ में शिथिलता चाही गयी है। 4. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 23 पर संलग्न मानचित्र एवं पृष्ठ संख्या 17 पर संलग्न जमाबन्दी अनुसार आवेदित भूमि मूल खसरा संख्या 72/7 रकबा 47-14 बीघा का भाग है। 5. आवेदित भूमि के दक्षिण में दर्शायी 40 फीट सड़क के परिप्रेक्ष्य में मार्गाधिकार निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा की सड़क को 80 फीट एवं दक्षिण-पूर्व की सड़क को 40 फीट रखा जावे। इस हेतु सड़क के मध्य बिन्दु से कमशः 40 फीट एवं 20 फीट सड़क हेतु भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। उक्तानुसार सड़क हेतु जोन स्तर पर सम्पर्णनामा लिये जाने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। 2. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 3. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही कि जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवादायी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 6. ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित

			6. ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करें।
5.	5	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 583/4, 583/3 के रकबा 02 बीघा भूमि का आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान बाबत । आवेदक :- श्रीमति सुशीला पत्नि श्री रामवल्लभ, श्री मनोज पुत्र श्री रामवल्लभ (जोन उत्तर)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. जोन चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ आवेदन किया है। आवेदित भूमि न्यू नागौर रोड पर स्थित है। जोन तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर एक मकान, कमरा व स्वीमिंग पूल निर्मित है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण एवं मौका निरीक्षण आयोजना शाखा के स्तर पर किया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुरूप समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। 2. आवेदित सडक पर पूर्व खसरा संख्या 516 ग्राम मण्डोर अनुमोदित है जिसमें उक्त सडक का मार्गाधिकार 100' दर्शात है। उपरोक्त दोनों खसरा संख्या 516 व आवेदित खसरा 583/4, 583/5 का गूगल पर अकन कर पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17 पर संलग्न है। 3. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौका रिपोर्ट व अन्य तकनीकी परिक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।




(पी.आर.बेनीवाल)
निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/ 3872-3878
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 23.02.2018

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।



निदेशक (आयोजना),

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2018 वीं बैठक दिनांक 15.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
3. श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।
5. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।

अध्यक्ष

संयोजक

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य सचिव

चिदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (एलपी)